

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार झिंगोनिया) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./45/2025 जी0सी0एम0एस0 2025/80

1. नाथू पुत्र हरलाल जाति कुम्हार(प्रजापति), निवासी सेदरियां तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. राजी पत्नि मगना जाति गुर्जर निवासी छछुन्दरा तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील-भिनाय जिला-अजमेर।

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक:-22.04.2025

उपस्थित :- 1. वकील प्रार्थी- श्री शम्मी मोहम्मद

2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा कीटाप पटवार क्षेत्र कीटाप भू0अ0नि0 क्षेत्र बान्दनवाड़ा के खाता सं0 317 में दर्ज खसरा सं. 1131 रकबा 0.12, खसरा सं. 1132/2997 रकबा 0.50, खसरा सं. 1133 रकबा 0.42, खसरा सं. 1133/3097 रकबा 0.02, खसरा सं. 1134 रकबा 0.27, खसरा सं. 1163 रकबा 0.16, खसरा सं. 1164 रकबा 0.22 और खसरा सं. 1165 रकबा 0.01 हैक्ट कुल किता 08 कुल रकबा 1.72 हैक्ट जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं. 01 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस वास्ते जवाब तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब पेश करते हुए, प्रश्नगत आराजीयात को प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात बताकर प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं होने की टिप्पणी पत्रावली आदेशिका पर अंकित की। पैरोकार सरकार द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति पेश नहीं की गई। पत्रावली वास्ते बहस नियत की जाती है। पत्रावली में बहस पत्रावली सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना-पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम कीटाप के खाता संख्या 317 संवत 2074-2077(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजीयात प्रार्थीगणों की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा कीटाप पटवार क्षेत्र कीटाप भू0अ0नि0 क्षेत्र बान्दनवाड़ा के

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

खाता सं० 317 में दर्ज खसरा सं. 1131 रकबा 0.12, खसरा सं. 1132/2997 रकबा 0.50, खसरा सं. 1133 रकबा 0.42, खसरा सं. 1133/3097 रकबा 0.02, खसरा सं. 1134 रकबा 0.27, खसरा सं. 1163 रकबा 0.16, खसरा सं. 1164 रकबा 0.22 और खसरा सं. 1165 रकबा 0.01 हैक्ट कुल किता 08 कुल रकबा 1.72 हैक्ट हेतू नायब तहसीलदार बान्दनवाडा को 500/- रु(पांच सौ रु) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ोसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।



(सुनील कुमार शिंगोनिया)
उपखण्ड अधिकारी
मिनाय (अजमेर)